

**Disclaimer**

*“This is an automated (system-generated) translation provided for convenience. If there is any ambiguity or inconsistency between this translation and the English version of the document, the English version will prevail to the extent permitted by applicable law. If you need any clarification, please call our toll-free number [1800 572 3013] and we will assist you.”*

**अस्वीकरण**

“यह सुविधा के लिए दिया गया एक ऑटोमेटेड (सिस्टम से बना) ट्रांसलेशन है। अगर इस ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट के इंग्लिश वर्शन के बीच कोई कन्फ्यूजन या अंतर है, तो लागू कानून के तहत इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर [1800 572 3013] पर कॉल करें और हम आपकी मदद करेंगे।”

क्षेमा किसान साथी बीमा पॉलिसी प्रस्ताव प्रपत्र					
प्रस्ताव सं।		ईमेल आईडी: customer.support@kshema.co		वेबसाइट: www.kshema.co	
वितरण विवरण					
चैनल का नाम -		प्रत्यक्ष/अभिकर्ता/दलाल/बैंक		चैनल कोड:	
एस. पी. का नाम -			एस. पी. कोड:		
प्रस्तावक विवरण					
पर्यावरण का नाम Mr./Mrs./Ms:					
बीमा की अवधि:					
पता:			संपर्क क्र.:		
बीमाकृत विवरण					
बीमित व्यक्ति का नाम Mr./Mrs./Ms है।					
बीमाकृत जन्मतिथि:					
Address:		पैन नंबर:		ई-मेल आईडी:	
प्रस्तावक श्रेणी		असंगठित क्षेत्र/अनौपचारिक क्षेत्र/आर्थिक रूप से कमजोर/पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति		प्रस्ताव ग्रामीण/शहरी क्षेत्र से संबंधित है।	
फार्म के साथ संबंध: मालिक/किरायेदार		किरायेदार के मामले में (मालिक का नाम दें)			
आपको/बीमित व्यक्ति को किए जाने वाले किसी भी भुगतान के लिए बैंक विवरण:		बैंक का नाम-खाता संख्या: आईएफएससी कोड:			
विषय-वस्तु विवरण					
फसल का नाम		विविधता	दिनों में फसल की अवधि	बुवाई की तिथि	बीमित क्षेत्र
फार्म का स्थान		जिला		तहसील	गाँव
खेती का प्रकार-जैविक प्रकार/अकार्बनिक प्रकार/निर्दिष्ट नहीं		बीमाकृत पॉलिसी राशि		क्षतिपूर्ति प्रतिशत	
बहुभुज आईडी/फार्म लैट-लोन		किरायेदार प्रमाणपत्र/कोई अन्य विवरण		फसल की कोई भी विशेष प्रथाएँ	
उगाई जाने वाली फसल का प्रकार: मौसमी/बागान		क्या बीमित खेत/संपत्ति को जियोटैग किया गया है? हाँ/नहीं		फसल का मौसम-खरिफ/रबी/ग्रीष्म/वार्षिक	
क्या आपका खेत सिंचित/वर्षा सिंचित भूमि है?		सिंचाई का स्रोत (यदि सिंचित हो):		संलग्न दस्तावेज़: (फोटोकॉपी) भूमि अभिलेख/ऋण दस्तावेज़/कोई अन्य विवरण	
सिंगल पिकिंग/मल्टी पिकिंग					

एकड़ के साथ प्रस्तावित खेत की सर्वेक्षण संख्या:

सर्वेक्षण संख्या	उप-सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल
कुल		

लेन-देन संख्या:

भुगतान की तिथि:

नामांकित विवरण

\* (यदि नाबालिग अभिभावक विवरण प्रदान करता है)

गिरावट/अस्वीकृति/लोडिंग के कोई कारण:

वित्तीय रुचि

बैंकर/फाइनेंसर का नाम \*

\* बैंकर/फाइनेंसर के ब्याज के मामले में, सहमत बैंक खंड लागू होता है।

बैंकर/फाइनेंसर का पता:

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रस्ताव प्रपत्र को पूरा करने से पहले योजना के प्रावधानों/विवरणिका को पढ़ लिया गया है और स्पष्ट रूप से समझा/समझाया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि

"मैं एतद्वारा बीमा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, उपयोग और प्रकटीकरण के लिए सहमति देता हूँ, जिसमें हामीदारी, दावे शामिल हैं।

"मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि प्रस्ताव प्रपत्र में उल्लिखित मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेरे नाम से पंजीकृत है। इसलिए, मैं एतद्वारा क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को कोई भी संचार भेजने के लिए अधिकृत करता हूँ।

प्रस्तावक/बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप।

तारीख:

स्थान:

केवल कार्यालय उद्देश्य

प्रस्ताव सं:

नाम -

पदनाम:

कर्मचारी आईडी

स्थान:

सत्यापन की तारीख:

अधिकारी के हस्ताक्षर:

नोट: यह प्रस्ताव प्रपत्र बीमा का प्रमाण नहीं है जब तक कि यू. एस. द्वारा प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है और पॉलिसी जारी नहीं की जाती है।

बीमा अधिनियम 1938 धारा 41-छूट का निषेध

निम्नलिखित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 की प्रति है।

Kshema Kisan Sathi Insurance Policy

UIN: IRDAN162RPCR0019V01202526

- 1) कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा लेने या नवीनीकरण करने या जारी रखने के लिए प्रलोभन के रूप में अनुमति नहीं देगा या अनुमति नहीं देगा।
- 2) इस धारा के प्रावधानों का पालन करने में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति दस लाख रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

kshema